लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 13/ 2022

GCMS NO. : 2022/57

प्रार्थी /अपीलार्थी :–

श्री अर्जुन पिता मांगीलालजी

निवासी वाडिया कोलोनी, बॉसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेसपोण्डेट्सः–

तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 28.07.2022

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 16.06.2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध करवाई गई जिस पर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 19.07.2022 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने उपस्थित होने सूचित किया गया।

दिनांक 27.07.2022 को तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा ने पत्रांक भूअ/ 2022/ 4280 दिनांक 21.07.2022 से जवाब एवं उसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियॉ पेश की।

दिनांक 28.07.2022 को अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। अपीलार्थी ने कथन किया कि ग्राम, [illegible]ड़ा के खसरा सं. 1361/2 रकबा [illegible] हेक्टेयर [illegible] का सीमांकन कराये [illegible]तु आवेदन

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

दिनांक 21.04.2022 के सन्दर्भ में सूचना चाही गई कि भूमि का सीमांकन कब किया जाना है, अब तक सीमांकन नहीं करने के क्या कारण रहे तथा भूमि सीमांकन किस दिनांक को किया जाना है? उक्त चाही गई सूचना के सन्दर्भ में तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध करवाई गई है।

प्रत्यर्थी ने कथन किया कि अपीलार्थी के प्रश्नगत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2022 से वांछित सूचना कार्यालय के पत्र क्रमांक भूअ/ 2022/4043 दिनांक 04.07.2022 से उपलब्ध कराई जा चुकी है। अपीलार्थी को गलत एवं भ्रामक सूचना उपलब्ध नही कराई गई है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र से चाही गई समस्त सूचना प्रश्नात्मक है। अपील अपीलांट निरस्त फरमावे।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील, उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 16.06.2022 तथा तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा के पत्रांक 4280 दिनांक 21.07.2022 एवं उसके संलग्न अपीलार्थी को प्रेषित की गई सूचना एवं पत्राचार की प्रतियों का अवलोकन कर उस पर मनन किया। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र से चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है, फिर भी अपीलार्थी तहसीलदार (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा द्वारा वांछित सूचना के सन्दर्भ में पत्रांक 4043 दिनांक 04.07.2022 से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाई है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) I.A.S.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलेक्टर, बॉसवाडा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2022.10.17 10:03:41 IST
Reason: SelfAttested